

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 34)

[10 अगस्त, 1971]

कतिपय गर्भों के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा समापन
का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गर्भ का चिकित्सकीय अधिनियम, 1971 है।

(2) इसका विस्तार ¹संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संरक्षक” से अवयस्क या ¹[मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति] के शरीर की देख-रेख का प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है;

²[(कक) “चिकित्सा बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है;]

³[(ख) “मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मानसिक मंदता से भिन्न किसी मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता है;]

(ग) “अवयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबन्धों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है;

(घ) “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी” से ऐसा चिकित्सा-व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखता है तथा जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है; और जिसने स्त्रीरोग-विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान में ऐसा अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

⁴[(ङ) “गर्भ का समापन” से चिकित्सा या शल्य चिकित्सीय पद्धतियों का उपयोग करते हुए किसी गर्भ के समापन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;]

3. गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है—(1) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई गर्भ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समाप्त किया जाए तो वह चिकित्सा-व्यवसायी उस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

⁴[(2) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गर्भ का समापन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा वहां किया जा सकेगा—

(क) जहां गर्भवस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की; या

(ख) ऐसे प्रवर्ग की स्त्री की दशा में, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक है किंतु चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की,

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अंतर्वलित होगी; या

(ii) इस बात का सारवान जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होता।

¹ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

² 2021 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 64 की धारा 2 द्वारा (18-6-2003 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 2021 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई गर्भावस्था किसी स्त्री या उसके भागीदार द्वारा बालकों की संख्या को समिति करने या गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई किसी युक्ति या पद्धति की असफलता का परिणाम है, तो ऐसी गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप, गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारण करेगा।

स्पष्टीकरण 2—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग द्वारा कारिता किए जाने का अभिकथन किया जाता है, तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारण करेगा।

(2क) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के सन्नियम वे होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2ख) गर्भावस्था की समयावधि से संबंधित उपधारा (2) के उपबंध किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भ के समापन को वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे समापन को किसी सारवान भ्रूण-अप्रसामान्यता के निदान द्वारा आवश्यक बना दिया गया है।

(2ग) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग औषध कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं, चिकित्सा बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगा।

(2घ) चिकित्सा बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:--

(क) स्त्री रोग चिकित्सक;

(ख) बाल चिकित्सक;

(ग) चिकिरण-चिकित्सा विज्ञानी या सोनोलोजिस्ट; और

(घ) ऐसी संख्या में अन्य सदस्य, जो यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।]

(3) इस बात का अवधारण करने में कि गर्भ के बने रहने से उपधारा (2) में यथावर्णित स्वास्थ्य की क्षति की जोखिम होगी या नहीं, गर्भवती स्त्री की वास्तविक या उचित रूप से पूर्वानुमेय परिस्थितियों का विचार किया जा सकेगा।

(4) (क) किसी ऐसी स्त्री का गर्भ, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अथवा जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु जो [मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति] हो, उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(ख) खण्ड (क) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई गर्भ गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

4. वह स्थान जहां गर्भ समाप्त किया जा सकेगा—इस अधिनियम के अनुसार किसी गर्भ का समापन निम्नलिखित से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जाएगा, —

(क) सरकार द्वारा स्थापित या पोषित अस्पताल; अथवा

(ख) कोई स्थान, जो तत्समय इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार या उस सरकार द्वारा गठित किसी ऐसी जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित हो जहां उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी हो:

परन्तु जिला स्तर समिति में कम से कम तीन और अधिक से अधिक अध्यक्ष सहित पांच सदस्य, जैसा सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, होंगे।]

5. धारा 3 और 4 कब लागू न होंगी—(1) धारा 4 के उपबन्ध और धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उतना भाग जितना गर्भ की अवधि और दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों की राय के बारे में है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा गर्भ की उस दशा में समापन को लागू नहीं होगा जब उसने सद्भावपूर्वक यह राय कमया की हो कि उस गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आवश्यक है।

³[(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भ का समापन, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, उस संहिता के अधीन ऐसा अपराध होगा, जो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय अपराध होगा और वह संहिता इस सीमा तक उपांतरित हो जाएगी।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 64 की धारा 3 द्वारा (18-6-2003 से) प्रतिस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 64 की धारा 4 द्वारा (18-6-2003 से) प्रतिस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 64 की धारा 5 द्वारा (18-6-2003 से) प्रतिस्थापित।

(3) जो कोई, धारा 4 में उल्लिखित से भिन्न स्थान में किसी गर्भ का समापन करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे स्थान का स्वामी है, जो धारा 4 के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित नहीं है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थान के संबंध में, “स्वामी” पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे अस्पताल या स्थान का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जहां इस धारा के अधीन गर्भ का समापन किया जा सकेगा, प्रशासनिक प्रधान है या अन्यथा उसके कार्यकरण या अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 2 के खंड (घ) के उपबंधों का उतना भाग जितना रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा स्त्री-रोग-विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान का अनुभव या प्रशिक्षण रखने के संबंध में है, लागू नहीं होगा।]

[5क. स्त्री की निजता का संरक्षण—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी स्त्री, जिसके गर्भ का इस अधिनियम के अधीन समापन किया गया है, के नाम और अन्य विशिष्टियों का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के, सिवाय प्रकटन नहीं करेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।]

6. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह अनुभव या प्रशिक्षण या दोनों जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी को उस दशा में प्राप्त करना होगा जब उसका आशय कोई गर्भ इस अधिनियम के अधीन समाप्त करने का हो; तथा

²(कक) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्त्री के प्रवर्ग ;

(कख) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी धारा 3 की उपधारा (2क) के अधीन विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के सन्निधय ;

(कग) धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन चिकित्सा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।]

(ख) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित हों या किए जा सकते हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

7. विनियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, विनियमों द्वारा,—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट राय से सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी या चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो उन विनियमों में विनिर्दिष्ट हो, प्रमाणित किए जाने की तथा ऐसे प्रमाणपत्रों के परिरक्षण या व्ययन की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी से, जो गर्भ समाप्त करे, अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे समापन की प्रज्ञापना तथा उस समापन से संबंधित अन्य ऐसी जानकारी, जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, दे ;

(ग) ऐसे विनियमों के अनुसरण में दी गई प्रज्ञापनाएं या जानकारी के, उन व्यक्तियों को तथा उन प्रयोजनों के लिए, जो ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रकट किए जाने के सिवाय प्रकटीकरण का प्रतिषेध कर सकेगी।

¹ 2021 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2021 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के आधार पर बनाए गए विनियमों के अनुसरण में दी गई प्रज्ञापना तथा जानकारी राज्य के मुख्य चिकित्सक अधिकारी को दी जाएगी।

¹[(2क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

8. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या होने संभाव्य किसी नुकसान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के विरुद्ध नहीं होगी।

¹ 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा अतःस्थापित।